



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 959 वर्ष 2026

जगजीत उर्फ कपिल.

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी पक्ष (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	करुणेश नारायण त्रिपाठी
विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आर. के. निषाद तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

यह ज़मानत अर्जी अभियुक्त-आवेदक की ओर से, केस अपराध संख्या 719/2025 में ज़मानत पर रिहाई की मांग करते हुए प्रस्तुत की गई है। यह मामला एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/18/21/29 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत, पुलिस थाना बारादरी, जनपद बरेली में पंजीकृत है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक के घर से लगभग 265 ग्राम हेरोइन बरामद होने का आरोप है। वस्तुतः, आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई थी। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि, चूंकि इस बरामदगी का समर्थन किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा नहीं किया गया है, अतः इस अपराध में आवेदक को झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगला तर्क यह दिया गया है कि, प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने में विफल रहा है। मामले में कोई रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। उन्होंने निवेदन किया कि आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है और संबंधित न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भी ले लिया गया है; अतः अब आवेदक की हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता शेष नहीं है। यह तर्क भी दिया गया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे अनावश्यक रूप से परेशान करने तथा प्रताड़ित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत अपराध में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने निवेदन किया कि सह-अभियुक्त प्रियंका दास को, इस न्यायालय की ही एक सम-पीठ द्वारा, आपराधिक विविध ज़मानत अर्जी संख्या 959/2026 में दिनांक 06.10.2025 को पारित आदेश के माध्यम से, पूर्व में ही ज़मानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक दिनांक 27.08.2025 से जेल में है और आवेदक का तीन अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसका विवरण ज़मानत अर्जी के समर्थन में ज़मानत संख्या 959, वर्ष 2026 के अंतर्गत दायर शपथ-पत्र में दिया गया है। आवेदक का निवेदन है कि यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की ज़मानत की अर्जी का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि आवेदक की बेगुनाही का फैसला मुकदमे से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह प्रतिबंधित सामान की सप्लाई में शामिल है; इसलिए, आवेदक किसी भी तरह की रियायत का हकदार नहीं है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में शामिल हो जाएगा।

मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त केस क्राइम में शामिल आवेदक **जगजीत @ कपिल** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो ज़मानती पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ ज़मानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक जाँच या मुकदमे के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना किसी स्थगन की माँग किए, पूरी ईमानदारी से मुकदमे में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और न ही कोई अपराध करेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, उसे ज़मानत रद्द करने का आधार माना जाएगा। मुचलके स्वीकार किए जाने से पहले, संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और ज़मानतियों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।

16 जनवरी, 2026

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।